कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील / RTI / 78 / 2023

बुरहान अली पुत्र श्री जैनुद्दीन निवासी बोहरा मौहल्ला, जिला बूँदी, राजस्थान
..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी भरतपुर
..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 20.12.2023**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री बुरहान अली पुत्र श्री जैनुद्दीन निवासी बोहरा मौहल्ला, जिला बूँदी, राजस्थान की अपील विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी भरतपुर के इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट / 23 / 797 दिनांक 15.12.2023 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने / नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लो.सू.अधि. जिला रसद अधिकारी भरतपुर के पत्रांक रसद / आरटीआई. / 2023 / 502 दिनांक 20.12.2023 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी से बिन्दुवार 1 लगायत 2 की सूचना चाही गई थी। चाही गई सूचना के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में अंकित किया है कि ".....बिन्दु सं0 01 में आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 के तहत सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं श्रीमती लक्ष्मी देवी की मृत्यु हो जाने व उनके स्थान पर उनके पुत्र श्री कृष्ण कुमार को अनुकम्पात्मक

आरटीआई / अपील / 2023 / 78

बुरहान अली बनाम जिला रसद अधिकारी भरतपुर

उचित मूल्य दुकान आवंटित हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री कृष्णा कुमार को सूचना के प्रकटन के सम्बन्ध में सहमति/असहमति प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय से पत्रांक 799 दिनांक 03.11.2023 जारी किया गया। श्री कृष्णा कुमार द्वारा दिनांक 08.11.2023 को कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर आवेदक को सूचना दिये जाने में असहमति जाहिर करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः व्यक्तिगत सूचना के परिपेक्ष्य में सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा असहमति जाहिर करने के कारण आवेदक को उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। आवेदन पत्र के बिन्दु सं0 02 आवेदक द्वारा चाही गई सूचना से सबन्धित प्रकरण अर्द्ध–न्यायिक प्रक्रिया के तहत निर्णय हेतु इस कार्यालय में विचाराधीन होने के कारण सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 8 (घ) के तहत आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। साथ ही उक्तानुसार सूचना से आवेदक को पत्रांक 197 दिनांक 09.11. 2023 सूचित कर दिया गया था।''.......

उक्तानुसार प्राप्त जबाब से ज्ञात होता है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा अपने कार्यालय के पत्र दिनांक 09.11.2023 से अपीलान्ट को सूचित किया जा चुका है।

अतः लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर